भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 131
मंगलवार, 28 जुलाई, 2026 /06 श्रावण, 1948, (शक) को उत्तरार्थ

ग्राम पंचायतों में प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पीएसीएस) का कवरेज

131 # **श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:**
डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में ग्राम पंचायतों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के वर्तमान कवरेज का ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत नई बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाओं की स्थापना का ब्यौरा क्या है;

(ख) पीएसीएस को केंद्रीय योजनाओं यथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (पीएमबीजेके) के साथ जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) महाराष्ट्र सहित राज्यों में नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) और नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्टस लिमिटेड (एनसीईएल) जैसी संस्थाओं के माध्यम से जैविक उत्पादन और मत्स्यपालन जैसे उभरते क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं के दायरे का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों के बीच प्रभावी समन्वय तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या निगरानी एवं मूल्यांकन तंत्र स्थापित किया गया है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (घ): संसद के पटल पर एक विवरणी रखी गई है।

श्री निलेश ज्ञानदेव लंके तथा डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे, माननीय संसद सदस्य द्वारा "ग्राम पंचायतों में प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पीएसीएस) का कवरेज" के संबंध में पूछे गए दिनांक 28 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 131 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, दिनांक 15.07.2026 की स्थिति में देश की कुल 2,71,110 ग्राम पंचायतों (GPs) में से **2,52,151** ग्राम पंचायतें प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) द्वारा आच्छादित हैं। इनमें से 2,23,016 ग्राम पंचायतें पूर्णतः आच्छादित तथा 29,135 ग्राम पंचायतें आंशिक रूप से आच्छादित हैं। ग्राम पंचायतों में PACS के कवरेज का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-1** में संलग्न है।

भारत सरकार द्वारा दिनांक 15.02.2023 को नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS), डेयरी सहकारी समितियों तथा मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना की योजना को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत अब तक कुल **38,292** नई PACS, डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों का पंजीकरण किया जा चुका है। इन नव-पंजीकृत PACS, डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-2** में संलग्न है।

(ख) सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने तथा उन्हें बहुउद्देशीय ग्रामीण सेवा केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। सरकार ने PACS के लिए मॉडल उपविधियाँ तैयार कर उन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रसारित किया है, जिनके माध्यम से PACS को 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। अब PACS प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK), प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (PMBJK), कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) तथा अन्य सेवा केंद्रों के रूप में भी कार्य कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, ₹2,925.39 करोड़ की कुल वित्तीय लागत वाली PACS कंप्यूटरीकरण परियोजना के अंतर्गत सभी क्रियाशील PACS को एक समान ERP (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर से जोड़ा जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर में PMKSK, PMBJK, CSC, किसान ऋण पोर्टल, तथा RuPay एवं किसान क्रेडिट कार्ड डेटाबेस के साथ एकीकरण की व्यवस्था भी उपलब्ध है।

(ग) सरकार ने "सहकार से समृद्धि" के विज़न के अंतर्गत जैविक खेती, निर्यात एवं मत्स्य पालन जैसे उभरते क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं की भूमिका का विस्तार किया है। राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) की स्थापना जैविक उत्पादों के संग्रहण, प्रमाणीकरण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग तथा विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। दिनांक 15.07.2026 की स्थिति में महाराष्ट्र सहित देश में 14,286 PACS एवं सहकारी समितियाँ NCOL की सदस्य बन चुकी हैं। NCOL के उत्पाद "भारत ऑर्गेनिक्स" ब्रांड के अंतर्गत विपणन किए जा रहे हैं तथा वर्तमान में 29 जैविक उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, NCOL ने उपभोक्ताओं को सीधे सेवा प्रदान करने हेतु पोर्टल एवं

मोबाइल एप्लिकेशन भी प्रारंभ किया है तथा ई-कॉमर्स एवं क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के माध्यम से अपनी पहुँच का विस्तार किया है।

इसके अतिरिक्त, सहकारी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) की स्थापना की गई है। दिनांक 15.07.2026 की स्थिति में 16,408 PACS एवं सहकारी समितियाँ NCEL से जुड़ चुकी हैं। मत्स्य क्षेत्र में, अब तक वंचित क्षेत्रों में नई प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा 70 फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (FFPOs) पंजीकृत किए गए हैं तथा संग्रहण एवं बाजार संपर्क को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 1,000 मत्स्य सहकारी समितियों को FFPO में परिवर्तित किए जाने हेतु सहायता प्रदान की जा रही है।

(घ) राज्यों में सहकारी समितियों के प्रभावी क्रियान्वयन, समन्वय एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सहकारिता मंत्रालय द्वारा जमीनी स्तर पर सहकारी समितियों की निगरानी के लिए बहु-स्तरीय (Multi-layered) व्यवस्था अपनाई गई है। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक विभिन्न समितियों का गठन किया गया है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं—

(i) अंतर-मंत्रालयी समिति (Inter-Ministerial Committee-IMC) — जिसकी अध्यक्षता माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा की जाती है।

(ii) राष्ट्रीय स्तरीय समन्वय समिति (National Level Coordination Committee-NLCC) — जिसकी अध्यक्षता सहकारिता मंत्रालय के सचिव द्वारा की जाती है।

(iii) राज्य सहकारी विकास समिति (State Cooperative Development Committee-SCDC) — जिसकी अध्यक्षता संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव द्वारा की जाती है।

(iv) जिला सहकारी विकास समिति (District Cooperative Development Committee-DCDC) — जिसकी अध्यक्षता संबंधित जिला कलेक्टर/जिलाधिकारी द्वारा की जाती है।

इसके अतिरिक्त, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध सहकारी रैंकिंग फ्रेमवर्क का उपयोग करते हुए 12 प्रमुख क्षेत्रों की प्राथमिक सहकारी समितियों के प्रदर्शन की समीक्षा करने की सुविधा भी प्रदान की गई है।

अनुलग्नक-1

ग्राम पंचायतों (GPs) में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कवरेज

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल ग्राम पंचायतें	PACS द्वारा पूर्णतः आच्छादित ग्राम पंचायतें (%)	PACS द्वारा आंशिक रूप से आच्छादित ग्राम पंचायतें (%)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	264	38 (14.4%)	29 (10.9%)
2	आंध्र प्रदेश	13367	12234 (91.5%)	246 (1.8%)
3	अरुणाचल प्रदेश	2108	570 (27.0%)	54 (2.6%)
4	असम	2714	1778 (65.5%)	810 (29.8%)
5	बिहार	8329	6432 (77.2%)	1599 (19.2%)
6	चंडीगढ़	0	0 (0.0%)	0 (0.0%)
7	छत्तीसगढ़	11719	11362 (96.9%)	257 (2.2%)
8	दिल्ली	1	0 (0.00%)	0 (0.0%)
9	गोवा	191	187 (97.9%)	2 (1.1%)
10	गुजरात	14859	12885 (86.7%)	872 (5.9%)
11	हरियाणा	6692	5849 (87.4%)	97 (1.4%)
12	हिमाचल प्रदेश	3615	2498 (69.1%)	1099 (30.4%)
13	जम्मू एवं कश्मीर	4291	3089 (71.9%)	520 (12.1%)
14	झारखंड	4372	2729 (62.4%)	1612 (36.9%)
15	कर्नाटक	5966	4067 (68.2%)	1850 (31.0%)
16	केरल	941	704 (74.8%)	237 (25.2%)
17	लद्दाख	193	0 (0.0%)	0 (0.0%)
18	लक्षद्वीप	15	0 (0.0%)	0 (0.0%)
19	मध्य प्रदेश	23071	21084 (91.4%)	1859 (8.1%)
20	महाराष्ट्र	28080	25166 (89.6%)	2270 (8.1%)
21	मणिपुर	3184	1933 (60.7%)	17 (0.5%)
22	मेघालय	7056	3410 (48.3%)	1 (0.01%)
23	मिजोरम	856	161 (18.8%)	3 (0.3%)
24	नागालैंड	1321	595 (45.0%)	0 (0.0%)
25	ओडिशा	6802	5560 (81.7%)	1112 (16.3%)
26	पुडुचेरी	108	85 (78.7%)	6 (5.6%)
27	पंजाब	13250	12413 (93.7%)	445 (3.4%)
28	राजस्थान	11442	7782 (68.0%)	3073 (26.9%)
29	सिक्किम	199	131 (65.8%)	65 (32.7%)
30	तमिलनाडु	12521	8448 (67.5%)	1398 (11.2%)

31	तेलंगाना	12944	11579 (89.4%)	731 (5.6%)
32	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	38	0 (0.0%)	0 (0.0%)
33	त्रिपुरा	1194	921 (77.1%)	217 (18.2%)
34	उत्तराखंड	7862	7161 (91.1%)	631 (8.0%)
35	उत्तर प्रदेश	58205	51106 (87.8%)	6155 (10.6%)
36	पश्चिम बंगाल	3340	1059 (31.7%)	1868 (55.9%)
	कुल	**271110**	**223016 (82.3%)**	**29135 (10.8%)**
			252151 (93.0%)	

स्रोत: एनसीडी पोर्टल (दिनांक 15.07.2026 की स्थिति अनुसार)

अनुलग्नक-2

दिनांक 15.02.2023 से नव-पंजीकृत बहुउद्देशीय PACS, डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बहुउद्देशीय पीएसीएस	बहुउद्देशीय डेयरी सहकारी समितियां	बहुउद्देशीय मत्स्य सहकारी समितियां
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1	2	11
2	आंध्र प्रदेश	11	1067	2
3	अरुणाचल प्रदेश	136	25	29
4	असम	580	728	89
5	बिहार	61	4498	2
6	छत्तीसगढ़	517	361	339
7	दिल्ली	0	0	0
8	गोवा	38	5	4
9	गुजरात	663	810	26
10	हरियाणा	40	200	6
11	हिमाचल प्रदेश	136	861	12
12	जम्मू एवं कश्मीर	232	1343	40
13	झारखंड	45	300	230
14	कर्नाटक	266	1264	52
15	केरल	0	0	0
16	लद्दाख	3	3	1
17	लक्षद्वीप	0	0	29
18	मध्य प्रदेश	680	1390	259
19	महाराष्ट्र	214	1223	167
20	मणिपुर	127	27	71
21	मेघालय	290	17	19
22	मिजोरम	97	2	2
23	नागालैंड	50	5	19
24	ओडिशा	1539	1009	61
25	पुडुचेरी	4	3	3
26	पंजाब	158	1049	52
27	राजस्थान	2008	3307	31
28	सिक्किम	27	77	4
29	तमिलनाडु	27	940	36

30	तेलंगाना	0	166	102
31	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	5	0	1
32	त्रिपुरा	294	2	26
33	उत्तराखंड	606	271	124
34	उत्तर प्रदेश	1372	4478	514
35	पश्चिम बंगाल	25	241	3
	कुल	**10252**	**25674**	**2366**

स्रोत: एनसीडी पोर्टल (दिनांक 15.07.2026 की स्थिति अनुसार)